दैनिक **न्याय साक्षी**

खबरें खास

रायगढ़, सोमवार 29 अप्रैल 2019

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

विश्व मलेरिया दिवस आयोजित

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार के निर्देशानुसार एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एन. केसरी के मार्गदर्शन में विश्व मलेरिया दिवस का आयोजन 25 अप्रैल को किया गया। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. टी.जी. कुलवेदी ने बताया कि राज्य शासन के निर्देश पर राज्य के सभी 27 जिलों में विश्व मलेरिया दिवस मनाने एवं आम जनमानस को मलेरिया से बचाव व रोकथाम हेतु जागरूक करते हुए जागरूकता फैलाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस वर्ष 25 अप्रैल 2019 को जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी'' के थीम के साथ जन समुदाय को जागरूक करना है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. टी.जी. कुलवेदी ने सभाकक्ष में उपस्थित समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए बताया कि सन 1953 में नेशनल मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। उस वक्त देश में 75 मिलियन केश मलेरिया से पीडित पाये गये थे। फिर 1958 में प्रोग्राम को परिवर्तन करते हुए नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम लॉच किया, जिसमें मलेरिया के केशों के अचानक रिडक्षन हुआ 2 मिलियन केश रिकार्ड हुए। इस प्रकार 2004 से नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीस कन्ट्रोल प्रोग्राम (एनव्हीबीडीसीपी) चल रहा है।

ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत

न्याय साक्षी/रायगढ़।30 वर्षीय युवक रेलगाड़ी की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। रेलगाड़ी में उठाकर उसे राबर्टसन स्टेशन पहुंचाया गया। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया जाता उसने दम तोड़ दिया।बहरहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर के मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 अप्रैल की सुबह खरसिया राबर्टसन स्टेशन के बीच डाउनलाइन क्रमांक 613/ 20 के नजदीक अचानक लगभग तीस वर्षीय युवक ट्रेन के सामने आ गया। जिससे ठोकर खाकर वह बुरी तरह घायल हो गया ट्रेन ड्राइवर ने जब यह नजारा देखा तो ट्रेन को रोक दिया तब तक युवक जीवित था। लोकों पायलट और गार्ड रेल गाड़ी में लोड कर राबर्टसन रेलवे स्टेशन ले आये लेकिन एंबुलेंस के आते तक वहां मृत हो गया। बाहर हाल पुलिस ने जाब्ता फौजदारी की धारा 174 के तहत मर्ग कायम कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। लोको पायलट के अनुसार मृतक रेल पटरी के साथ साथ चल रहा था। युवक ने आत्महत्या की या वह किसी हादसे का शिकार हुआ, इसका खुलासा पुलिस जांच के पश्चात ही लग पाएगा। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उसकी पहचान के लिए आसपास के गांव में पुलिस ने सूचना भेज दी है।

टीएल बैठक कल

न्याय साक्षी/रायगढ़।कलेक्टर यशवंत कुमार की अध्यक्षता में साप्ताहिक समय सीमा (टीएल) बैठक 29 अप्रैल को पूर्वान्ह 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। सर्वसंबंधित विभागीय अधिकारी नियत तिथि एवं समय पर बैठक में उपस्थित रहना सुनिश्चित करें।

आदिवायी युवती से अनाचार के आरोपी को 10 साल कड़ी कैद

एट्रो सिटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने जुर्माना भी ठोका

न्याय साक्षी/रायगढ़। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण के विशेष न्यायाधीश विजय कुमार होता की अदालत ने आज आदिवासी युवती से अनाचार के मामले में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को दस वर्ष के सश्रम कारावास व जुर्माने से दंडित किया है। विद्वान न्यायाधीश ने अपने फैसले में पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति 1 लाख रूपए का भुगतान करने का भी आदेश पारित किया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि कापू थाना अंतर्गत कापू की ही रहने वाली पीड़िता जो अनुसूचित जनजाति वर्ग की सदस्यता है वह कम्प्यूटर की पढ़ाई करने हेतु अपने ग्राम गोलाबुडा से पत्थलगांव बस में आना जाना करती थी। इसी दौरान उसका बस के कंडक्टर एक अन्य आरोपी राज उर्फ मोहन से परिचय हो गया। घटना 4 अक्टूबर 2016 की है। इस दिन रात करीब साढ़े 10 बजे जब पीड़िता अपने घर पर थी। इसी दौरान राज उर्फ मोहन यादव ने उसे फोन करके घर से बाहर बुलाया और जब पीड़िता इस आरोपी से बातचीत कर रही थी। उसी समय पीछे से बाईक

में सवार दो और आरोपी इस्लाम मोहम्मद तथा उसका एक साथी जयराम बंजारा वहां पहुंचे और बलात पीड़िता के मुंह को दबाकर तथा हाथ को पकड़कर उसे जबरन बाईक में बिठाकर जंगल की ओर ले गए, जहां मुख्य आरोपी इस्लाम ने पीड़ित युवती को उसके खिलाफ छेडछाड की झूठी रिपोर्ट लिखाने और उसे परेशान करने का हवाला देते हुए जबरन उसके साथ अनाचार किया और बाद में उसे पीड़िता के गांव के बाहर छोड़कर दोनों आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने घटना की रिपोर्ट दूसरे दिन अपने परिजनों के साथ कापू थाने पहुंचकर दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 376, (2) (छ) का आरोप पंजीबद्ध करते हुए आरोपियों की तलाशी शुरू की और मुख्य आरोपी इस्लाम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। विशेष्ज्ञ न्यायालय में यह प्रकरण उर्पापण पर प्राप्त होनें के बाद पीठासीन अधिकारी विद्वान न्यायाधीश विजय कुमार होता ने इस मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद आरोपी इस्लाम मोहम्मद को दोष सिद्ध करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड न पटाने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतान होगा। विद्वान न्यायाधीश ने इस मामले में पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति 1 लाख रूपए प्रदान करने का भी आदेश पारित किया है। गौरतलब रहे कि इस मामले के सह आरोपी राज उर्फ मोहन यादव को जहां दोष मुक्त किया गया है वहीं एक अन्य आरोपी जयराम बंजारा अब भी फरार है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार श्रीवास्तव ने पैरवी की।

विद्युत उपभोक्ताओं को मिलने लगा छूट का लाभ

न्याय साक्षी/रायगढ़। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल अपने उपभोक्ताओं को सरकार की घोषणा के अनुसार बिजली बिल में छूट का लाभ शुरू कर चुका है, और अब तक 92 हजार लोगों को इसका लाभ दिया जा चुका है। अकेले रायगढ़ सर्किल में 2 लाख 40 हजार से भी अधिक उपभोक्ता हैं जिन्हें मार्च 2019 से 4 सौ यूनिट का लाभ मिलना शुरू हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं के उपर 7 करोड़ से भी अधिक बकाया है। इसके अलावा शासकीय विभाग के उपर 38 करोड़ रूपए बकाया निकल रहा है।

विभाग के अधिकारी की मानें तो छत्तीसगढ़ की सरकार की घोषणा के अ नुसार उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का लाभ देना शुरू किया जा चुका है और यह छूट उन उपभोक्ताओं को दी जा रही है जो अपना बिल लगातार जमा करते आ रहे हैं।

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, दो आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

न्याय साक्षी/रायगढ़। शहर के अलग-अलग इलाकों में मोटर सायकल के अलावा घरों में घुसकर चोरी की घटना करने वाले दो चोरों को कोतरा रोड़ पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है इनके पास से चोरी की पांच मोटर सायकल, एक फ्रिज, दो कम्प्यूटर के अलावा गैस सिलेंडर तथा अन्य कई सामान बरामद किए है जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रूपए आंकी गई है।

कोतरा रोड़ थाने की टीम ने इन चोरों को शहर के ही एक मोहल्ले से गिरफ्तार किया है और पहले से ही इनमें से एक चोर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। पकड़े गए चोर अपने साथी के साथ चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर चोरी का सामान बडी आसानी से खपाते आ रहे थे और हाल ही में इन

लोगों ने मोटर सायकल चोरी की घटना को भी अंजाम दिया था तब पुलिस ने इनकी तलाश तेज कर दी थी और आज सुबह इन दोनों चोरों को गिरफ्तार करके लाखो रूपए का सामान बरामद किया है। नगर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों चोरों से पूछताछ जारी है और इन दोनों चोरों ने कई चोरियों की बात कबूली है।

लियाफी ने किया मोती मोटवानी का सम्मान

» एमडीआरटी के लिये हुए चयनीत

न्याय साक्षी/रायगढ़। ऑल इंडिया एजेंट एसोसिएशन भारतीय जीवन बीमा निगम लियाफी द्वारा बिलासपुर के स्थानीय होटल इंटरसिटी में एक विशाल सम्मान समारोह आयोजित किया गया ।जिसमें बिलासपुर मंडल के लगभग 500 अभिकर्ता सम्मिलित हुए जिसमें लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवी शंकर शुक्ला बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक कुंतल कुमार बिलासपुर विपणन प्रबंधक टी पी एस भाटिया मैनेजर विक्रय गुप्ता एवं बिलासपुर लियाफी के अध्यक्ष इमरान आलम की गरिमामयी उपस्थिति में विगत वर्ष एमडीआरटी के लिए अहर्क अभिकर्ताओं का सम्मान किया ।जिसमें नगर के प्रख्यात बीमा व्यवसायी परिवार के सदस्य मोती मोटवानी को प्रमाण पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के व्यवसाय में एमडीआरटी को किसी भी अभिकर्ता के जीवन में एक मील के पत्थर के रूप में देखा जाता है । और हर अभिकर्ता के लिए यह एक गौरव की बात होती है । मोती मोटवानी ने इस अवसर पर अपने पिता स्वर्गीय लालचंद मोटवानी को याद करते हुए कहा कि उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलते हुए मुझे या गौरव प्राप्त हुआ है आज उन्हीं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद का फल है कि मैं इस सम्मान को ग्रहण कर रहा हूं।

उल्लेखनीय है कि मोती मोटवानी के पिता स्वर्गीय लालचंद मोटवानी को बीमा का जादूगर कहा जाता था और आज भी पूरे छत्तीसगढ़ में उनके प्रशंसकों की कमी नहीं है भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जब भी इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो उसमें स्वर्गीय मोटवानी के सफलताओं की गाथा स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगी।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...

न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग

वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....

न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की

खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।

स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग. संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480